**सुरक्षा सेवाओं में नियुक्तियां**

*402. **श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा**:
**श्री बरजिन्दर सिंह**:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने सुरक्षा सेवाओं में जनसंख्या के औसत के आधार पर नौकरियों में नियुक्ति न करने का सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुझाव पर विचार किया है;

(ग) इस संबंधघ में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निदेश भी जारी किए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नाडिस)**: (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत है।

**विवरण**

पंजाब के मुख्य मंत्री ने 15.6.98 के अपने पत्र में यह अनुरोध किया कि सशस्त्र सेनाओं में जनसंख्या के आधार पर मौजूदा भर्ती नीति का पुनरीक्षण किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को उनकी अर्हता और योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के अवसर मिल सकें।

सेना, नौसेना और वायुसेना में अफसरों का चयन अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार, नौसेना और वायुसेना में अफसर रेंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती भी अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर की जाती है। तथापि सेना में अन्य रैंकों की भर्ती राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित कोटे में से उनकी भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर की जाती है।

भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर सेना में की गई भर्ती राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में माकूल तथा न्यायसंगत साबित हुई है तथा इससे विस्तृत आधार वाली एवं मिश्रित सेना की राष्ट्रीय आकांक्षा भी पूरी हो पाई है। इस तथ्य के मद्देनजर, सेना में मौजूदा भर्ती नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सरकार का कोई विचार नहीं है।

†सभा में यह प्रश्न श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा द्वारा पूछा गया।

**श्री सुख देव सिंह ढिंडसा**: ऑनरेबल चेयरमैन सर, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि -

"Selection of officers in the Army, Navy and Air Force is made on the basis of All India merit. Similarly, recruitment of Personnel Below Officer Rank in Navy and Air Force is also made on All India merit basis."

But recruitment below the rank of officer in the Army is not made on merit basis.

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह फैसला कब हुआ इसके पीछे कारण क्या थे? जहां तक मुझे नॉलेज है पंजाब के मुख्य मंत्री से इनकी बात हुई थी। इन्होंने यह भी यकीन दिलाया था कि हम उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस पर देबारा विचार करेंगे?

**श्री जार्ज फनरान्डीज**: मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने हमारे उत्तर को बढ़कर कुछ गलत समझा है। इन्होंने जो वाक्या पढ़कर सुनाएः

"Selection of officers"—the emphasis is on officers'—"in the Army, Navy and Air Force is made on the basis of All India merit. Similarly, recruitment of Personnel Below Officer Rank in Navy and Air Force is also made on All India merit basis."

However, recruitment of other ranks, other than officers, in the Navy and Air Force is also made on All India merit basis.

उसका कारण यह है कि नेवी एयरफोर्स में आफिसर्स के अलावा भर्ती होती है वे आमतौर पर किसी न किसी टेकनीकल काम में लगे रहते हैं। आगे जो बात है वह यह है कि:

"However, recruitment of other ranks" —in other words, soldiers—"in the Army is based on quota allotted to States/UTs on the basis of their Recruitable Male Population."

सेना में जो जवानी की भर्ती होती है वह भर्ती आल इंडिया के स्तर पर नहीं होती है, हर प्रदेश में आबादी के आधार पर होती है। उसमें आबादी की जो मात्रा लगाई जाती है 16 और 25 साल के बीच की आबादी , हर

प्रदेश में जो आबादी है समूचे देश की आबादी की मात्रा में, इस रेशयो के आधार पर जो रिक्रूटेवल मेन पापुलेशन कहा जा रहा है वह 16 और 25 साल के बीज की आबादी की जो मात्रा है उस आधार पर होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सेना में भर्ती करते हुए कोई मैरिट नहीं है, सेना में भर्ती करने के लिए कुछ कसोटियां हैं, कुछ पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ शारीरिक ताकत होनी चाहिए और कुछ सोच होनी चाहिए। इन सारी चीजों का टैस्ट करके मेरिट पर लोगों की भर्ती होती है। मगर फर्क इतना ही है कि आर्मी और नेवी में, उस लेवल पर भी आल इंडिया भर्ती करने में और सेना में भर्ती करने में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। अब रहा सवाल मुख्य मंत्री द्वारा हमें भेजे गए पत्र का, मुख्य मंत्री श्री बादल साहब हमसे मिले थे और 17 जून को उन्होंने हमें पत्र भी दिया था। दो दिन पहले हमारी उनसे जो बातचीत हुई थी इस संदर्भ में वह पत्र लिखा था। पत्र का एक दो वाक्य मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि कुछ गलतफहमियां इस पत्र में है। मेरा ख्याल है कि सदस्यों के मन में भी हो सकती हैः

"Prior to the partition of the country, the representation in the armed forces from Punjab was more than 25%. Consequent upon the formulation of a new recruitment policy in late sixties on the basis of All India recruitment based on the population criterion, the representation from Punjab has come down to about two per cent".

यह उनका अपना कहना है। महोदय, यह बात सही नहीं है और सही इस मायने में नहीं है कि रिक्रूटमेंट में, नीतियों में जो बदलाव आया था वह बदलाव 1972 में आवा था। 1792 में यह तय हुआ था कि कुल आर्मी फोर्स में जो भर्ती होनी है उसमें यह प्रयास होना चाहिए कि समूचे देश से लोगों को सेना में जाने का मौका मिल जाए, तो फिर आधार क्या रखें। आधार वही कि मेन रिक्रूटमेंट करने लायक जो आबादी है 16 और 25 साल की उम्र के बीच की, यह आबादी कितनी है,.........

वह देखा जाए और उस परसेंटेज के आधार पर सेना में भर्ती हो जाए। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि पंजाब में भर्ती कम हो गई और पंजाब के मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि अबाऊट टू परसेंट। यह बात सही नहीं है। पंजाब में जो भर्ती हो रही है वह देश में आबादी की अगर मात्रा का हम हिसाब लगाएं तो उससे कई गुना अधिक है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं और माननीय सदस्य का समाधान होना चाहिये। उदाहरण यह देना चाहता हूं कि मेरे पास अभी यहां 1992-93 से ले कर 1996-97 का ब्यौरा है। हर प्रदेश से कितने लोगों की भर्ती हुई हर साल में वह इस प्रकार है। 1992-93 में सब से अधिक हो गई उत्तर प्रदेश की, उसके बाद उस साल में दो नम्बर पर रहा महाराष्ट्र और तीन नम्बर पर पंजाब रहा। अगर आबादी के लिहा़ज से देखें तो भी पंजाब में जितने लोग रिक्रूटमेंट के लिए क्वालीफाई करने वाले हैं उनकी आबादी का हिसाब नहीं पकडा गया। पंजाब से काफी अधिक लोग भर्ती हो गये और देश में कुल जो भर्ती हुई उसमें तीन नम्बर का स्थान पंजाब का रहा। अगर उसकी प्रतिशत की मात्रा भी देखनी है तो मेरे ख्याल से 1992-93 में यह 8.22 प्रतिशत रही। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 प्रतिशत तो यह 8.22 प्रतिशत रही फिर सभापति जी, 1993-94 में उत्तर प्रदेश सब से अधिक, दो नम्बर पर पंजाब रहा। 1994-95 में उत्तर प्रदेश सब से अधिक, दो नम्बर पर पंजाब रहा। 1995-96 में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर, राजस्थान दो नम्बर पर और पंजाब ती नम्बर पर। इसलिए कुछ गलतफहमी है कि पंजाब से लोगों की सेना में भर्ती में कमी हुई है। वह कम नहीं हुई। जो नयी रिक्रूटमेंट पापूलेशन को देख कर तय की है इसमें कुछ ऐसा प्रावधान है जिन प्रदेशों से जितनी भर्ती होनी चाहिये अगर वह नहीं होती और ऐसे प्रदेश जहां से जितने नौजवान आने चाहियें वह नही आ रहे हैं तो जो कोटा बच जाता है, वह अन्य सूबों में चला जाता है। इनमें से पंजाब का हिस्सा सब से ज्यादा है।

**श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा**: सभापति जी, मंत्री जी ने जवाब में यह माना है कि जो पहले 35 प्रतिशत थी, वह अब 8 प्रतिशत हो गई है। मैं मंत्री जो को यह बताना चाहता हुं कि पंजाब के हालात इतने बिगड़ गए थे, उसका एक कारण यह भी था कि जो नौजवान आर्मी और दूसरी फोर्सिज में जाते थे, उनकी भर्ती कम हो गई, वह अनइम्पलायड हो गये और उन्होंने हथियार उठा लिये क्योंकि कोई काम नहीं था। इसलिए पंजाब में अब भी यह कहते हैं तो फिर दूसरे सूबों में बांट देते हैं। यह मेरिट पर कर लें और अगर मेरिट पर पंजाब का कोई नहीं आता तो हमें क्या एतराज है। उन्होंने आश्रासन भी दिया था कि दोबारा रिकंसीडर करेंगे। हो सके तो मेरिट पर करें तो पंजाब की हालात भी ठीक होंगे, अनइम्पलायमेंट इतनी ज्यादा है, वह भी शायद ठीक हो जाएगी।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज**: सभीपति महोदय, में फिर यह कहूंगा कि जो मुख्य मंत्री का पत्र था, शायद माननीय सदस्य ने ठीक से नहीं सुना। मुख्य मंत्री ने कहा था-

> Prior to the partition of the country, the representation in the armed forces from Punjab was more than 25 per cent.

प्रायर टू पार्टीशन नम्बर एक। इसलिए वह पंजाब और आज के पंजाब की रिक्रुटमेंट की तुलना करना ठीक नहीं होगा। नम्बर दो, उस समय के पंजाब में आज का हरियाणा भी था। हिमाचल भी था...(**व्यवधान**)... वह तो है ही पार्टीशन का शब्द पहले आया है क्योंकि यह सब मिलाकर था। इसलिए यह सोचना कि पंजाब की किसी प्रकार की हानि हो गयी यह बात गलत है, नम्बर दो, आपने जो बता कहीं है कि मेरिट के आधार पर नहीं मिलता, वह सही नहीं है। जो भी, जहां से भी आता है वह मेरिट पर ही आता है, और किसी तरह से नहीं आता है. लेकिन यह नयी नीति आने पर ...(**व्यवधान**)... इतनी तो सफाई होनी बहुत जरूरी है ताकि कोई गलत फहमी इन चीजों में न रहे और पंजाब के लोगों के मन में इस प्रकार का कोई भी भाव न रहे कि उनके साथ कहीं भी किसी तरह से अन्याय हो रहा है. यह उनके मन में बात नहीं रहनी चाहिए। तो मैं यह बता रहा था कि अलग अलग प्रदेशों में जो नयी नीति लागू हो गयी वह नीति लागू हुई 1992-93 में 1992-93 में वह नीति लागू होने के पहले 1968-69 का मेरे पास एक आंकडा है। 19969-1970, 1970-1971, 1992-93 के भी मेरे पास आंकड़े हैं। वे 11 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के रहे हैं. तीन साल 11 प्रतिशत रहा और एक साल 12 प्रतिशत रहा है। 1984-85 में 12.5 प्रतिशत रहा, 1989-90 में 13.8 प्रतिशत रहा और 1988-89 में 14.5 प्रतिशत रहा। तो इसलिए किसी भी प्रकार की डिसक्रिमिनेशन वाली बात अथवा मेरिट के बारे में न सोचने वाली बात हो ही नहीं सकती है क्योंकि सेना में मेरिट के बगैर किसी को भर्ती करना संभव ही नहीं है।

**श्री रमा शंकर कौशिक**: श्रीमन, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूछूंगा। यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि इससे संघ शासित क्षेत्रों, राज्यों और जिनको हम क्षेत्रीय अपेक्षाएं कह सकते हैं। जैसा कि मंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल कियी है उन अपेक्षाओं की तो पूर्ति हुई है। लेकिन श्रीमन जैसा कि मंत्री जी स्वयं भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत विषमताएं हैं और भर्ती के जरिए इन विषमताओं को कुछ कम करने के लिए क्या मंत्री जी कुछ प्रयास करेंगे?

**श्री जार्ज फर्नान्डीज**: कहां सामाजिक विषय और कहां यह मेरिट के ऊपर सेना में भर्ती। इनका मेल जोड़ना यह मैं नही समझता सभापति जी कि उचित है...(**व्यवधान**)...

**श्री रमा शंकर कौशिक**: मेरिट तो रखिए। मेरिट तो रख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरिट के बावजूद भी वैसी स्थितियां नहीं होतीं यह स्वीकार कीजिये। मेरिट के लिए हम मनी नहीं कर रहे हैं। मेरिट तो आप रखें लेकिन जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक उसको सोच लीजिए कि मेरिट होते हुए भी वे स्थितियां पैदा नहीं होती है। इसके लिए अगर कुछ आप रख देंगे तो वैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज**: सभापित जी, मेरी स्वयं यह राय है कि अभी तक सेना में जिस प्रकार का भर्ती का नियम रहा है उसमें किसी प्रकार का बदलाव ठीक नहीं है।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, the matter which has been raised by the hon. Member was also raised, rather a decision was taken, in the Rajiv-Longowal Accord. The Rajiv-Longowal Accord was approved by both the Houses. In the Accord, Punjab was assured that a similar policy would be introduced and implemented in the recruitment in Navy, Army and Air Force. I do not want to criticise this but during the last four months, this Government has been rejecting one by one the demands of Akali Dal with regard to Punjab. Earlier, Chandigarh... ('Interruptions).. That was also rejected by the Home Minister.

MR. CHAIRMAN: No, no *(Interruption)* Confine yourself only to the Question.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: I am not in the habit of taking things outside the purview, Sir. This demand...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: He also was part of the Government for two years.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: This demand was accepted by both the Houses, as per the Rajiv-Longowal Accord. This is number one. Number two, I want to know as to why this Government is not considering the commitments made in the Rajiv-Longowal Accord. Also, I want to know whether the Chief Minister has referred to the Rajiv-Longowal Accord in his letter to the Defence Minister or not.

**श्री जार्ज फर्नान्डीज**: सभापति जी, हमें हमारे मंत्रालय में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि राजीव-लौंकोवाल एकार्ड में क्य क्या लिखा है. लेकिन में इतना ही कहूंगा कि मुख्य मंत्री की शिकायत थी कि दो प्रतिशत पर आज है. मैंने यहां पर सिद्ध कर दिया कि वह औसतन 8-9-10 के आप पास है। इसलिये शिकायत की बात के लिए कोई गुंचायश नहीं है. मैं माननीय सदस्य से इतना ही कहूंगा कि हमने जीवन भर जब भी इस प्रकार के मामले आए या कोई पंजाब के मामले आये हैं उसमें हमेशा हम पंजाब के साथ रहे हैं।

SHRI ASHOK MITRA: Sir, perhaps, there is a bit of contradiction in what the hon. Minister has just said. Or, he cannot claim that recruitment is in proportion to population of the States when at the same time, it is recorded that some States are under-represented. Obviously, some of the States have not been able to supply recruits because they must have failed in some of the tests that have been ascribed. I will make a very modest point that with an increasing machanisation of most of the defence forces, perhaps, some of the attributes that are insisted upon for recruitment deserve to be reviewed. I say this because of the situation that is appearing in some of the North-Eastern States from where the recruitment is very short. The hon. Defence Minister himself represents one of the Eastern States. There is a huge pool of unemployment in these States. I will plead with the hon. Minister to let us know whether there is any scope of increasing the proportion of recruitment from each of the Eastern States, including, Bihar.

SHRl GEORGE FERNANDES: Mr. Chairman, Sir, while I agree that with mechanisation and so on and so forth qualifications for recruitment are bound to change and these factors do affect, yet, looking at the social and educational situation or backwardness of certain States, special concessions are made. Sir, special concessions are made in terms of height or weight or educational qualifications or whatever other attributes are needed and care has been taken to see that ultimately the person who gets is capable of performing the duties which he is expected to perform. While I agree with the hon. Member that lack of some of these attributes or failure in some of the tests is one reason why some States are under-represented, there are some other States which are under-represented because there are better opportunities of employment. Where there is high level of industrialisation, one finds that people of those particular areas are not inclined to join the army or in any of the armed forces. We have these problems and we are making special efforts at recruitment stage; both at the level of officers and at other levels in recent times. There is no shortage in so far as manpower at the lower level, in other words, at the level of jawan is concerned. But, at the level of officers, there has been a shortfall and one of the reasons is, there are other opportunities which are better opportunities in monetary terms and in other terms. Therefore, it is rather a complex question. The hon. Member has specially mentioned about North-East and the Eastern States. In the North-East, it is true that because of the prevailing conditions of insurgency and so on, there has not been adequate representation in the forces. That is why, when I visited the North-East in April last, I made a public statement in every State that we will encourage young people to join the army and special efforts are currently being made in that region. In so far as Bihar or West Bengal is concerned, if there is any under-representation, we will make all-out efforts to see that we hold rallies and persuade people to join the forces.

**श्री लक्ष्मण सिंह**: चैयरमेन साहब, आजादी से पहले हिन्दुस्तान की फौज का सिक्का सारी दुनिया में जमा हुआ था और सारे डरते थे।

**श्री संघ प्रिय गौतम**: आज भी डरते हैं।

**श्री लक्षमन सिंह**: मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। I do not interfere in anybody's speech. अभी मंत्री जी ने कहा कि भर्ती आबादी के ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब, हिरयाणा और हिमाचल जिन्होंने आबादी को कंट्रोल किया और यू. पी. बिहार जिन्होंने नही किया तो क्या उन को यह सजा है? यहां भी रिजर्वेशन की बीत आ गयी है? मैं अर्ज करना चाहूंगा मंत्री जी से कि फौज देश की रक्षा करती है और सभी कुछ फौज के ऊपर दारोमदार है। आप की बॉर्डर पर चारों तरफ एनेमीज बैठे हैं। इतना अंधकार मचा हुआ है औ चारों तरफ मिलिटेंसी है। तो क्या आप यह गौर करना चाहंगे कि बजाए आबादी के लिहाज से मेरिट के हिसाब से भर्ती हो? कम से कम फौज को तो बख्श दीजिए इस रिजर्वेशन से। यहां तो ऐसा काम न कीजिए आप वरना यह जो आप का बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है और हिंदुस्तान की आबादी वन थाउजेंड मिलियन हो चुकी है, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? इसी तरह से जब भी एसेंब्लीज और पार्लियेमेंट में रिजर्वेशन की बात आएगी तो आप आबादी को लेकर बैठ जाएंगे जिस में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल स्टेट्स तो मारे जाएंगे जोकि आबादी को कंट्रोल करते हैं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप इस आबादी के नॉर्म को बदलिए जोकि आबादी तो आप को खाए जा रही है और इसी कारण आप के 50 परसेंट लोग बिलों पावर्टी लाइन हैं आप चाइना को देखिए, वहां जीरो परसेंट पॉपुलेशन हो चुकी है। तो क्या मंत्री जी हाउस को यह यकीन दिलाएंगे कि आबादी का नॉर्म छोड़कर भर्ती प्योरली मेरिट पर आ जाए? फिर इस में जो ताकतवर होगा, वह जाएगा। चैयरमेन साहब, यही सवाल मैं मंत्री जी से आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज**: सभापति जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरिट के बगैर भर्ती होती ही नहीं है।

**श्री लक्षमन सिंह**: अभी तो आप ने कहा कि पॉपुलेशन के बेसिस पर है।

**श्री सभापति**: आप ने सुनी नहीं, जो बात कही उन्होंने।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज**: अब रहा सवाल कि किसी के साथ क्या अन्याय हो रहा है विशेषकर पंजाब के संदर्भ में क्योंकि माननीय सदस्य का लक्ष्य मुझे वहीं नजर आया। ...(**व्यवधान**)...

सभापति जी, हम नहीं चाहते थे कि यह बहस इस तरह से चले क्योंकि यह ठीक नहीं है। हम देश को सेना की समस्याओं की चर्चा करते हैं तो वह एक प्रदेश की नही होतीं, समूचे देश में वही समस्याएं हैं, कहीं कुछ होती है और कहीं कुछ होती हैं। सभापति जी, मैं ऐसे 50 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा। केवल एक ही उदाहरण दूंगा। जहां तक रेशियो ऑफ पॉपुलेशन की बात है, पंजाब का मैंने बताया 2.4 और पत्तर प्रदेश का 16 आता है। आज जिस रेशियों पर पंजाब में फर्ती हो रही है, उसी रेशियो को अगर उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहेंगे तो मैं एक साल का उदाहरण देता हूं। जो मैंने अभी आंकड़े पढ़े थे, उत्तर प्रदेश एक नम्बर पर और पंजाब दो नंबर पर है और अगर मैं उस आधार पर चलूं तो उत्तर प्रदेश में उस साल जो भर्ती हुई थी, और उसमें और अधिक लगभग 20 हजार की भर्ती होनी चाहिए थी। जो आप ने शिकायत की है ...(**व्यवधान**)...उस शिकायत के आधार पर कोई करने नहीं जा रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

**श्री लक्षमन सिंह**: यह ताकत का मामला है, उसमें तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को ही मिलेगा।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज**: सभापति महोदय, मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस सवाल को हम प्रदेश प्रदेश के मामले के तौर पर न देखें। मेरिट के बगैर सेना में कोई नहीं जाएगा और जिन प्रदेशों में और भी कोई संभावनाएं है तो उन संभावनाओं के हम पूरा करते रहेंगे।

**श्री सभापित**: क्यूश्चन नंबर 403.

**सरदार बलविंदर सिंह भुंडर**: सर, एक क्युश्चन। जो असल क्यूश्चन था वह तो किसी ने उठाया ही नहीं।

**श्री सभापति**: नहीं, अब नहीं। आधा घंटा हो गया इस सवाल पर। क्युशचन नंबर 403.

**Representation to Minorities in Para-Military and Police Forces**

*403. SHRI K. RAHMAK KHAN: Will the Minister of HOME AFPAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are committed to provide adequate representation to minorities in para-military and police forces;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard during last three years; and